5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

PBR/निगरानी/धार/भू-रा/2017/2182

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

गंगाराम पिता कोदरजी जाति ब्राम्हण उम्र 70 वर्ष
धंधा व्यापार निवासी जोशी कालोनी धार तह0 व जिला धार

.....................निगरानीकर्ता

बनाम

1– म0प्र0 शासन

2– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र धार

3– तहसीलदार तह0 व जिला धार ....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 107 नवीन होकर पुराना 152/1 होकर उक्त संपूर्ण भूमि डायवरडेट लेण्ड है नगरीय क्षेत्र में होकर नगर पालिका धार सीमा में होकर जिस बाबद समय–समय पर सूचना पत्र होकर जिस संबंध में उक्त भूमि जो सर्वे नंबर 107 नवीन पुराना 152/1 होकर सर्वे नंबर 107 कई भागो में विभक्त होकर विधिवत क्रेता होकर हम सदभाविक क्रेता होकर करोडो रूपये का निर्माण होकर उक्त भूमि का एक अंश सर्वे नंबर 107 का एक अंश सर्वे नंबर 107/4/1 होकर रकबा 0.155 हैक्टर होकर उक्त भूमि के संबंध में पूर्व स्वामी दर स्वामी नाम होकर उक्त भूमि का पुराना नंबर 152/1 होकर उक्त भूमि 02.10.1959 को होकर उक्त भूमि वडिल दर वडिल मांगिया पिता सावंत के नाम से दर्ज होकर मांगु उर्फ मांगिया पिता सावंत ने विधिवत संपूर्ण भूमि को डायवर्टेड कराया वह आज्ञा 19.06.1981 की है जिसका अनुमोदन भी कलेक्टर महोदय द्वारा व पुख्ता कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे मालिको व स्वामियो ने चेतन पितां राधेश्याम ने भी उक्त अंश के बारे में व संपूर्ण भूमि के बारे में मुकदमे चले वे मुकदमे भी दिनांक 03.02.1984 को 18.06.1984 को उक्त मुकदमो के संबंध में पूर्व मालिको को भूमिस्वामी माना स्वामी माना व धारा 181, 182 भूरासं मुजब कभी भी पट्टे पर मांगु उर्फ मांगिया पिता सावंत को पट्टे पर नही दी गई न प्रमाण है वरन उक्त भूमि का पुराना नंबर 152/1 होकर संपूर्ण भूमि का एकल मांगु दर्ज है। भूमि बांट अधिनियम संबंधी कोई प्रमाण नही है धारा 181, 182 भूरासं का पट्टा सशर्त पट्टा नही है न प्रमाण है जबकि

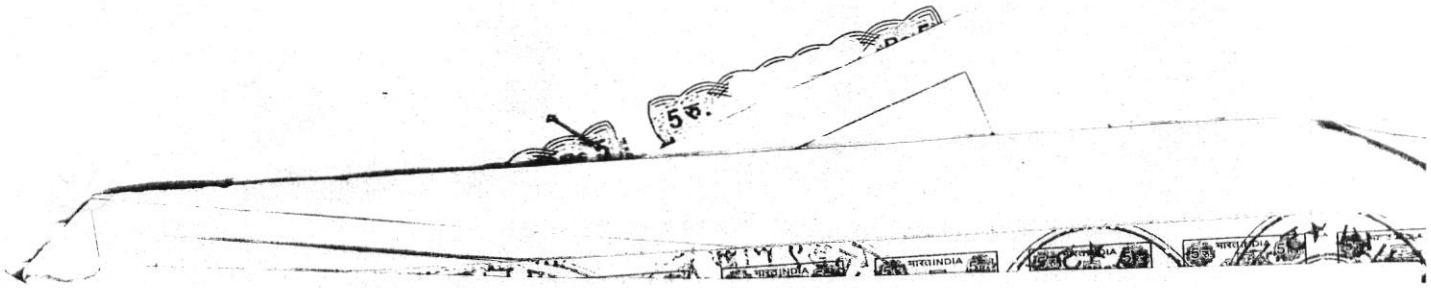

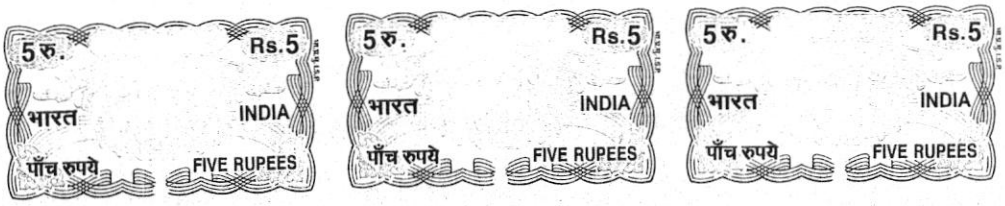

कार्यवाही प्रारंभ जिस दिनांक को कही गई उस समय भी कोई प्रमाण पेश नही हुआ आज भी संपूर्ण रिकार्ड में कोई प्रमाण नही है जिस संबंध में मैने एक अन्य निगरानी माननीय राजस्व मंडल में पेश किये है उक्त प्रकरण जिसमे माननीय श्रीमान द्वारा स्थगन दिया है वह स्थगन प्रभावशील है ऐसी दशा में माननीय राजस्व मंडल व माननीय वरिष्ठ न्यायालय की आज्ञा उनके समक्ष पेश है एक अन्य राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/2015–16/अ–39 में आज्ञा दिनांक 23.06.2017 को 12.04.2017 का प्रकरण आइंदा तीन माह तक प्रभावशील होते हुए पुनः फरियादकर्ता का प्रमाण प्रथम लेना चाहिए था ऐसा न कर अनावेदक निगरानीकर्ता प्रमाण दे यह आज्ञा यथेष्ट नही है न्याय युक्त नही है अवमानना स्वरूप की है उन्हे वरिष्ठ का आदर करना चाहिए इन सब बातो को रखते हुए न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/2015–16/अ–39 में आज्ञा दिनांक 23.06.2017 को दी वह इररेगुलर इललिगल है उसे अपास्त बाबद यह नगरानी अर्ज निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./17/2182 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.10.2017	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश 23–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय पटटे की भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	